II/12013/02/2003-रा.भा.(नीति-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांकः 18 अक्तूबर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

वियः- इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन ।

केन्द्रीय हिंदी समिति की दिनांक 18 सितम्बर, 1985 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना आरंभ हुई थी । इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की स्वीकृति से बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है अर्थात :

1. प्रथम पुरस्कार - 40,000/- रूपए
2. द्वितीय पुरस्कार - 30,000/- रूपए
3. तृतीय पुरस्कार - 20,000/- रूपए
4. प्रोत्साहन पुरस्कार - 10,000/- रूपए

2. उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं है बल्कि राट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू है । यह बढ़ी हुई राशि वर्ा 2006-07 से प्रारंभ मानी जाएगी । उपर्युक्त संशोधनों के अलावा बाकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/02/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित है, पूर्ववत रहेंगी ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें । इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

(बृजमोहन सिंह नेगी)
निदेशक (नीति)
दूरभााः 24617 764

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)